(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/188

जयदीप सिंह हाडा पुत्र श्रीनाथ सिंह हाडा निवासी–मकान नम्बर 05, बहादुर सिंह सर्किल, पुलिस लाईन रोड, बूंदी राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. रणवीर सिंह चन्द्रावत पुत्र गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत
2. तेजसिंह चन्द्रावत पुत्र गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत
3. बेबी पुत्री गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत
4. छुट्टन पत्नी मोहन सिंह पुत्री गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत
5. मंजू कंवर पत्नी दौलत सिंह पुत्री गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत
   निवासीगण–हरिगढ़(छोटी हवेली) तहसील खानपुर, जिला झालावाड़, राज0
6. तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी, राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बृजबिहारी गोचर, अभिभाषक, रेस्पो. 1 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.10.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2018 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी की कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी ग्राम रिसन्दा एवं रानीपुरा पटवार हल्का रानीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी मे स्थित है ग्राम रिसन्दा की भूमि का वर्तमान खाता संख्या नया 39 एवं पुरानी 30 की खसरा नंबर 22 की रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 79 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 80 की रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 81 की रकबा बिस्वा, खसरा नंबर 168 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 169 की 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 170 की रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 7 की 35 बीघा 1 बिस्वा ग्राम रानीपुरा की कृषि आराजी का खाता संख्या नया 415 पुराना 353 की खसरा नंबर 147 की रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 148 की रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 149 की रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 151 की रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 152 की 1 बीघा 2

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बिस्वा, खसरा नंबर 153 की 6 बिस्वा, खसरा नंबर 154 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 165 की रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 170 की 2 बिस्वा कुल किता 9 की 14 बीघा 13 बिस्वा कृषि आराजी इस प्रकार दोनो गांव की कुल किता 16 की कुल रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। उपर वर्णित उपरोक्त कृषि आराजी के पूर्व में वादी के दादा जयनाथ सिंह जी खातेदार कृषक थे और उन्होने अपने जीवनकाल मे उपरोक्त कृषि आराजी को जरिए बख्शीशनामा प्रतिवादीगण की माता श्रीमती प्रीतम कंवर को खातेदारी अधिकार दिए थे और इस कारण से उपरोक्त संपत्ति की खातेदार प्रतिवादीगण की माता श्रीमती प्रीतम कंवर बनी लेकिन उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर वर्तमान मे तथा पूर्व से वादी एवं उसके पिता श्रीनाथ सिंह हाडा का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त उपर वर्णित कृषि आराजीयात के संबन्ध मे प्रतिवादी नं 1 लगायत 5 की माता प्रीतम कंवर के द्वारा दिनांक 16.06.2003 को एक रजिस्टर्ड दान पत्र के द्वारा उपरोक्त संपत्ति को वादी को दान की थी और उपरोक्त दान पत्र के माध्यम से उपरोक्त संपत्ति का मै वादी मालिक, काबिज व स्वामी चला आ रहा हूं तथा वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्त दान पत्र के माध्यम से अपने नाम इंतकाल नहीं खुलवाया इस कारण उपरोक्त उपर वर्णित संपत्ति वर्तमान मे प्रीतम कंवर के नाम चली आ रही है तथा प्रीतम कंवर की मृत्यु पूर्व मे दिनांक 19–9–2018 को हो चुकी है ओर उपरोक्त संपत्ति का एक मात्र मालिक व स्वामी मै वादी हूं। वादी उपरोक्त दान पत्र दिनांक 16–6–2003 के आधार पर मै वादी उपरोक्त संपत्ति का मालिक बन चुका हूं तथा उपरोक्त दान पत्र के आधार पर मै वादी उपरोक्त संपत्ति का इंतकाल अपने नाम खुलवाने का अधिकारी हूं इस बाबत वादी के द्वारा एक आवेदन तहसीलदार हिण्डोली को दान पत्र की प्रति के साथ दिया गया कि उपरोक्त संपत्ति का इंतकाल वादी के नाम दर्ज करे तो प्रतिवादी नं 6 द्वारा इंतकाल दर्ज ना कर मौखिक यह कहा गया कि वह राजस्व न्यायालय से पहले स्वंय को दान पत्र के आधार पर मालिक अथवा खातेदार घोषित करवाकर लावे उसके बाद न्यायालय के आदेश की पालना मे खातेदार के रूप मे नाम दर्ज किया जावेगा। इस प्रकार उपरोक्त संपत्ति का दान पत्र के आधार पर मै वादी एक मात्र खातेदार हूं और इसलिए वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जाकर वादी को दान पत्र दिनांक 16–6–2003 के आधार पर वाद पत्र की चरण नं 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अमल करने का आदेश प्रतिवादी नं 6 को दिया जावे। उपरोक्त उपर वर्णित आराजीयात पर वादी एवं उसके पिता श्रीनाथ सिंह हाडा का कब्जा चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी नं 1 से लगायत 5 द्वारा श्रीमती प्रीतम कंवर की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त संपत्ति का राजस्व रिकार्ड मे नाम प्रीतम कंवर के स्थान पर स्वंय का दर्ज करवाने पर आमादा है तथा प्रतिवादी नं 1 लगायत 5 द्वारा वादी को दिनांक 16–10–2018 को यह कहा कि उपरोक्त जमीन का कब्जा उन्हे संभला देवे जिससे कि वह उपरोक्त जमीन को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाकर किसी व्यक्ति को बेचान कर सके तब वादी ने उनसे यह कहा कि उपरोक्त संपत्ति का मालिक वादी है ओर उपरोक्त संपत्ति से बेदखल करने तथा उसे राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ओर यदि प्रतिवादीगण उपरोक्त संपत्ति को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवानें तथा संपत्ति को दान, बैय, हिबा करने तथा वादी को बेदखल करने में कामयाब हो गए तो वाद पत्र मे लिटिगेशन बढेगे तथा वादो की बहुल्यता बढेगी इसलिए वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण मुझ वादी की कब्जे एवं स्वामित्व वाली संपत्ति जिसका

(7)

विस्तृत विवरण वाद की चरण नं 1 मे दिया गया है उससे वादी को बेदखल ना करे तथा उपरोक्त संपत्ति बाबत राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज ना करावे तथा उपरोक्त संपत्ति को किसी दीगर व्यक्ति को दान, बैय, हिबा आदि ना करे। उपरोक्त संपत्ति का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी नं 6 है तथा इसलिए उसे पक्षकार बनाया है वाद मे घोषणा की प्रार्थना चाही है मामला अर्जेन्ट इमीजेट नेचर का है प्रतिवादी नं 6 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने का समय नहीं है और वादी धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रक्रिया मे पडेगा तो वादी का वाद अपोषणीय हो जावेगा इसलिए नोटिस के अभाव मे वाद पत्र पर कार्यवाही की जावे इसके लिए धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदन अलग से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वाद पत्र को पेश करने का वाद कारण प्रीतम कंवर की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी नं 1 लगायत 5 द्वारा वादी को बेदखल कर धमकी देने तथा जमीन का बेचान करने की धमकी देने तथा प्रतिवादी नं 6 द्वारा न्यायालय से स्वंय के नाम घोषणा की डिक्री न्यायालय से पारित करवाने की कहने के कारण उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त संपत्ति कृषि आराजी ग्राम रिसन्दा एवं रानीपुरा पटवार हल्का रानीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है इसलिए उपरोक्त वाद को सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र हर प्रकार से विधिवत रूप से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :– (1) यह कि वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जाकर वादी को दान पत्र दिनांक 16–6–2003 के आधार पर कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी ग्राम रिसन्दा एवं रानीपुरा पटवार हल्का रानीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी मे स्थित है ग्राम रिसन्दा की भूमि का वर्तमान खाता संख्या नया 39 एवं पुरानी 30 की खसरा नंबर 22 की रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 79 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 80 की रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 81 की रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 168 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 169 की 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 170 की रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 7 की 35 बीघा 1 बिस्वा ब्राम रानीपुरा की कृषि आराजी का खाता संख्या नया 415 पुराना 353 की खसरा नंबर 147 की रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 148 की रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 149 की रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 151 की रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 152 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 153 की 6 बिस्वा खसरा नंबर 154 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 165 की रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 170 की 2 बिस्वा कुल किता 9 की 14 बीघा 13 बिस्वा कृषि आराजी इस प्रकार दोनो गांव की कुल किता 16 की कुल रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा स्थित है का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अमल करने का आदेश प्रतिवादी नं 6 को दिया जावे । (2). यह कि वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण मुझ वादी की कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी ब्राम रिसन्दा एवं रानीपुरा पटवार हल्का रानीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी मे स्थित है ग्राम रिसन्दा की भूमि का वर्तमान खाता संख्या नया 39 एवं पुरानी 30 की खसरा नंबर 22 की रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 79 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 80 की रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 81 की रकबा 13 विस्वा, खसरा नंबर 168 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 169 की 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 170 की रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 7 की 35 बीघा 1 बिस्वा ग्राम रानीपुरा की कृषि आराजी का खाता संख्या नया 415

पुराना 353 की खसरा नंबर 147 की रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 148 की रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 149 की रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 151 की रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 152 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 153 की 6 बिस्वा, खसरा नंबर 154 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 165 की रकबा 2 बीघा 6. विस्वा, खसरा नंबर 170 की 2 बिस्वा कुल किता 9 की 14 बीघा 13 बिस्वा कृषि आराजी इस प्रकार दोनो गांव की कुल किता 16 की कुल रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा स्थित है उससे वादी को बेदखल ना करे तथा उपरोक्त संपत्ति बाबत राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज ना करावे तथा उपरोक्त संपत्ति को किसी दीगर व्यक्ति को दान, बैय, हिबा आदि ना करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.10.2019 को एक प्रार्थना–पत्र वास्ते दान पत्र दिनांक 16.06.2003 को प्रोपर स्टाम्प पर पंजीबद्ध करने बाबत कलेक्टर स्टाम्प कोटा को भेजे जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थी वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थी वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दान पत्र दिनांक 16.06.2003 को प्रोपर स्टाम्प पर पंजीबद्ध करने बाबत कलेक्टर स्टाम्प कोटा को भेजे जाने बाबत खारिज किए जाने का निर्णय/आदेश पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय वस्तुस्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से यह निवेदन किया था कि उपरोक्त दान पत्र को पंजीयन हेतु कलेक्टर स्टाम्प के यहां भेजा जाना चाहिये जिससे की उसे साक्ष्य में पढ़ा जा सके इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय की रुलिंग भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश कि थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में ना तो रुलिंगों का हवाला दिया। और ना ही विधि में वर्णित कानून का मनन किये बिना ही आदेश दिनांक 16/04/2025 पारित किया है। उपरोक्त विषय में माननीय न्यायालय से यह दिशा निर्देश पारित कर रखे है कि किसी भी पक्षकार को स्वयं के खर्चे पर पर्याप्त स्टाम्प व पंजीकृत करने

हेतु पदैन कलेक्टर को दस्तावेज भेजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनेक न्यायिक दृष्टांत भी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि बाद दायरे से पूर्व वादी स्वयं की जिम्मेदारी पर दस्तावेज़ को पंजीयन करवाता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानून पर कोई गौर नही किया कि दावा दायर के बाद अपंजीकृत दस्तावेज़ को पंजीयन हेतु भेजा जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 16/04/2025 गैर कानूनी है जिसे निरस्त फरमाया जावे। न्याय के हित में अपंजीकृत दान पत्र दिनांक 16/06/2003 को पर्याप्त स्टाम्प पर सास्ती लगा कर मुद्रांकित किये जाने हेतु भेजा जाना आवश्यक है। इसलिये उपरोक्त अपील मंजूर कि जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16/04/2025 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 23/10/2019 को स्वीकार फरमाया जाकर, दान पत्र दिनांक 16/06/2003 को पर्याप्त स्टाम्प पर मुद्रांकित किये जाने के आदेश कलेक्टर स्टाम्प कोटा को दिये जावें तथा विकल्प में अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 23/10/2019 को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता न्यायालय उचित समझे अपीलांट को दिलाई जायें।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा तथाकथित अनरजिस्टर्ड दान–पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त अनरजिस्टर्ड दान–पत्र को प्रोपर स्टाम्प पर पंजीबद्ध करने बाबत कलेक्टर स्टाम्प कोटा को भिजवाए जाने का अनुतोष प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में चाहा गया है। परन्तु रजिस्ट्रेशन की त्रुटि को स्टाम्प ट्यूटी लगवाने मात्र से पूरा नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। न्यायालय स्वयं दस्तावेज को इम्पाउण्ड कर सकती है। अपीलांटगण को हस्तगत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही दस्तावेज की निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी अदा करके इम्पाउण्ड करवाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र एवं अपील, मूल वाद में अनावश्यक रूप से विलम्ब किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध केवल सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा तथाकथित अनरजिस्टर्ड दान–पत्र दिनांक 16.06.2003 के आधार पर वादग्रस्त आराजी को स्वयं की खातेदारी में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में तथाकथित दान–पत्र दिनांक 16.06.2003 को प्रोपर स्टाम्प पर पंजीबद्ध करने बाबत कलेक्टर

स्टाम्प कोटा को भिजवाए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत दान–पत्र दिनांक 16.06.2003 का है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से वाद सन् 2018 में प्रस्तुत किया गया है जो दान–पत्र के निष्पादन की दिनांक से लगभग 15 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.04.2025 में वादी अपीलांट द्वारा दान–पत्र के निष्पादन के 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उसे पंजीकृत/मुद्रांकित नहीं करवाया जाना संदेहास्पद होने का अंकन किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का यह मत है कि वादी अपीलांट को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं के स्तर पर तथाकथित दान–पत्र को पंजीकृत/मुद्रांकित करवाया जाना आवश्यक था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र को पोषणीय नहीं होना मानकर तथा वाद विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रस्तुत होना मानकर खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 16.04.2025 में अंकित किया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस मत से सहमत है कि वादी अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व स्वंय के स्तर पर तथाकथित दान–पत्र को पंजीकृत/मुद्रांकित करवाया जाना आवश्यक था। न्यायालय हाजा में केवल उन्हीं आदेशों की अपील पोषणीय है जो सी.पी.सी. के आदेश 43 एवं सी.पी.सी. की धारा 104 के अन्दर समाहित है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.04.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.04.2025 सी.पी.सी. के आदेश 43 एवं सी.पी.सी. की धारा 104 में उल्लेखित आदेशों की श्रेणी का नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2018 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.04.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/X/25

(मुस्तीधार पालीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा